हिन्दुस्तान 02
पटना • गुरुवार • 19 जुलाई 2018

# रेरा में 25 जिलों से नहीं आया एक भी आवेदन

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) और बिल्डरों के बीच लुकाछिपी का खेल चल रहा है। पटना के बिल्डर तो निबंधन के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन राज्य के अन्य जिलों की स्थिति बहुत खराब है। राज्य का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां बिल्डर और डेवलपर जमीन विकसित करने या अपार्टमेंट बनाने की परियोजना नहीं चला रहे हैं, लेकिन लगभग 25 जिलों से एक भी आवेदन निबंधन के लिए नहीं आया है।

पटना में खास बात यह है कि रेरा ने जब फाइन की राशि बढ़ाकर 10 गुना की तो बिल्डरों ने अपनी पुरानी योजनाओं को नया बताकर निबंधन कराना शुरू किया। इसमें कुछ तो सफल हो गए, लेकिन कुछ अपने ही रिकॉर्ड से पकड़े गए हैं।

ऐसी लगभग एक दर्जन परियोजनाओं को लेकर अब बिल्डरों को 10 गुना फाइन देकर निबंधन कराना होगा। रेरा के गठन के बाद से अब तक बिहार में 513 बिल्डरों ने निबंधन के लिए आवेदन किया है। इसमें 90 प्रतिशत परियोजनाएं पटना की हैं। इसके अलावा हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, पूर्णिया, आरा, सासाराम और नवादा से इक्का-दुक्का परियोजनाओं के लिए बिल्डरों ने आवेदन किया है। शेष जिलों से एक भी आवेदन नहीं आया है।

## रुचि नहीं

- पुरानी योजनाओं को नया बताकर निबंधन कराने में जुटे हुए हैं बिल्डर
- दो माह में नगर विकास विभाग भी परियोजनाओं की सूची नहीं दे सका

**513** परियोजनाओं के लिए मिला है आवेदन

**90** प्रतिशत परियोजनाएं राजधानी पटना की

**रेरा चेयरमैन ने नगर विकास विभाग को भेजा रिमाइंडर :** खास बात यह कि नगर विकास विभाग भी इस काम में रुचि नहीं दिखा रहा है। रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने दो महीने पहले नगर विकास विभाग को पत्र लिखकर राज्य में रियल एस्टेट के चल रहे कारोबार की सूची मांगी थी। उन्होंने कहा था कि नगर निकाय या फिर जो भी नक्शा पास करने वाली संस्था है, वहां से ऐसी परियोजनाओं की सूची मिल जाए तो संस्था को निबंधन के लिए प्रेरित करने में आसानी होगी, लेकिन दो माह बाद भी जब सूची विभाग से नहीं मिली तो श्री अमानुल्लाह ने फिर से विभाग को रिमाइंडर दिया है।